**भारत सरकार**

**महिला एवं बाल विकास मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 1219**

**दिनांक 16 दिसम्‍बर, 2013 को उत्तर के लिए**

**कामकाजी महिलाओं हेतु बच्चों की देखभाल संबंधी सुविधाओं में सुधार किया जाना**

**1219. श्रीमती झरना दास बैद्य:**

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) : क्या यह सच है कि हमारे देश में कामकाजी महिलाओं के लिए बच्चों की देखभाल एक गंभीर मुद्दा रहा है;

(ख) : क्या सरकार के पास विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में बच्चों की देखभाल संबंधी मौजूदा सार्वजनिक सुविधाओं में सुधार लाने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ग) : यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) : यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रीमती कृष्णा तीरथ महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(क) : जी हां ।

(ख) और (ग) : मंत्रालय कामकाजी माताओं जिनकी पारिवारिक मासिक आय 12 हजार से कम है के 0-6 वर्ष आयु के बच्‍चों की दिवस देखरेख सुविधा प्रदान करने के लिए राजीव गांधी राष्‍ट्रीय क्रेच स्‍कीम क्रियान्‍वयन कर रहा है। इसके साथ ही साथ स्‍कीम अनुपूरक पोषण प्रतिरक्षा, पोलियों ड्रप्‍स जैसी स्‍वास्‍थ्‍य देखरेख इनपुटस, ऐसे बच्‍चों के मौलिक विकास मानीटरन तथा मनोरंजन की बेहतर सेवाएं प्रदान करता है। हाल ही में भारत सरकार तथा कार्यान्‍वयन अभिकरणों/गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी संशोधन तथा तथा अभिवृद्ध वित्‍तीय मानको के साथ इस स्‍कीम का ढांचागत पुननिर्माण किया गया है ।

(घ) : प्रश्‍न नहीं उठता, उपरोक्‍त (ख)और (ग) के उत्‍तर में ।

\*\*\*\*\*\*